जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

जोधपुर विकास प्राधिकरण

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email- jdanic-jod-rj@nic.in वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No.0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांकः– जोविप्रा / प्र.अपील अधि. / 2021–22 / 1942 दिनांकः– 28.10.2021

आदेश

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा जारी निविदा क्रमांक 18 / HQ / 2021–22 दिनांक 21.09.2021 में प्रस्तुत अपील के संबंध में दिनांक 22.10.2021 को संबंधित पक्षों की उपस्थिति में सुनवाई की गई तथा निविदा दस्तावेजों एवं संबंधित नियमों के अवलोकन बाद निम्नानुसार निर्णय जारी किया जाता हैः–

1. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 2(vii) तहत पूर्व में कार्य श्रेणी की निविदा पर RTPP के तहत पुर्नविचार किया जावें।
2. पूर्व निविदा की दर विश्लेषण को बाजार में प्रचलित दरों एवं दो या दो से अधिक सेवा प्रदाता की दरों के आधार पर तैयार किया जावें।
3. वित्त विभाग की अधिसूचना 19 नवम्बर, 2015 एवं इसके बाद जारी अधिसूचना के क्रम में कार्य की प्रकृति, गुणवता एवं स्वच्छ प्रतिस्पर्धा के मध्यनजर इस कार्य को राजस्थान की सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से उपाप्त करने हेतु आरक्षित करने के बजाय प्रतियोगी बोली, गुणवता, सुनिश्चित करने हेतु आरक्षित नहीं करना सही माना गया एवं राजस्थान में स्थित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को क्रय अधिमानता देने का निर्णय किया गया।
4. निविदा की उपापन विषयवस्तु के तकनीकी Parameters में (-) (+) Standard के साथ नाप तय करने का निर्णय किया गया।

अतः उपापन संस्था को आदेशित किया जाता है कि पूर्व में जारी निविदा को निरस्त कर निर्णयानुसार आवश्यक संशोधन किए जावें।

इस आदेश की प्रति अपीलार्थी को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित हो।

अपील RTPP 2013 के नियम 85(3) के तहत आज दिनांक 28.10.2021 को निर्णित की गई एवं आदेश SPPP पर Upload किया जावें।

आयुक्त एवं प्रथम अपील प्राधिकारी
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर